न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 380 सन 2018

अनवान :–

1. पालाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रिक्शा उर्फ कमला पुत्री प्रताप जाति नायक निवासी मलवाणी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 14.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 490/404 की कुल 8.8520 हैक में से 22–1/24हिस्सा , व खाता संख्या 674/590 की कुल 9.6610है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के दादा एवं वादी की पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्यागे किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज दादा के नाम से दर्ज थी प्रतिवादीया संख्या 1 के दादा एवं पिता दोनो का देहान्त होने के बाद वाद भूमि प्रतिवादीया के नाम से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादीया ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता एवं प्रतिवादीया संख्या 1 के दादा सहीराम के नाम से दर्ज थी प्रतिवादिया के दादा सहीराम का देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादीया के पिता प्रताप का भी देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है प्रतिवादीया संख्या 1 ने जरिये दस्तवरदारी दिनांक 18.7.2017 को अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जो दस्तवरदारी से साबित है एवं प्रतिवादीया संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 490/404 की कुल 8.8520हैक मे से 22–1/24 व खाता संख्या 674/590 की कुल 9.6610हैक में से 1/3 हिस्सा जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official